

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक- हनुमानगढ ने पत्र क्रमांक 2389 दिनांक 24.08.18 के द्वारा श्री गणेशाराम पारीक व्याख्याता भूगोल का प्रेषित अवकाश प्रकरण को राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक एफ-1 (2) एफ डी (रूल्स) 06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 25.9.18 की अनुपालना में श्री गणेशाराम पारीक व्याख्याता भूगोल, राउमावि भुकरका, हनुमानगढ द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत परीविक्षा काल की अवधि में उपभोग किए गए अवकाशों का असाधारण अवकाश एतद् स्वीकृत किया जाता है ।

क्र. सं.	लिये गये अवकाश	दिनों की संख्या
1	28.09.2015 से 17.10.2015	20
	26.10.2015 से 31.10.2015	06
	19.11.2015 से 20.11.2015	02
	02.12.2015 से 22.12.2015	21
	18.01.2016 से 22.01.2016	05
	30.01.2015 से 05.03.2016	36
	कुल असाधारण अवकाश दिवस	90

संबंधित कार्मिक द्वारा दिनांक 20.07.2015 को दोपहर बाद व्या.भूगोल पद पर कार्यग्रहण किया गया है, इन्होंने कुल 212 दिवस का अवैतनिक अवकाश का उपभोग किया है । इनमें से 90 दिवस का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत कर शेष 122 दिवस का अवैतनिक अवकाश प्रशासनिक/कार्मिक विभाग द्वारा शासन स्तर पर स्वीकृत किया जावेगा । इनके प्रोबेशन ट्रेनी अवधि वृद्धि बढ़ाए जाने संबंधित आदेश व स्थाईकरण आदेश शासन से स्वीकृति उपरान्त अलग से समेकित जारी किये जायेंगे ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 16/10/2018

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-5/अवकाश प्रकरण/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित उपनिदेशक-माध्यमिक शिक्षा,
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा
4. संबंधित संस्था प्रधान को देकर लेख है कि कार्मिक का अवकाश संबंधी इन्द्राज इनकी सेवापुस्तिका में करें।
5. संबंधित कार्मिक
6. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर